IJAER/ March-April 2023/Volume-12/Issue-2 ISSN: 2278-9677
International Journal of Arts & Education Research

भारत में मन्दबुद्धि बालक एवं बालिकाओं की शिक्षा व्यवस्था का अध्ययन

शोधार्थी
कु0 शाईस्ता बेगम
ग्लोकल स्कूल ऑफ आर्ट्स एण्ड सोशल सांइसेज

शोध निर्देशक
डॉ0 राजीव रंजन
असिस्टेंट प्रोफेसर
ग्लोकल स्कूल ऑफ आर्ट्स एण्ड सोशल सांइसेज

सार–

मानसिक मन्दता, मानसिक विकास की ऐसी अवस्था है, जिसमें बच्चों का बौद्धिक विकास औसत वृद्धि वाले बालकों से कम होता है। ऐसे बच्चों को मन्द–बुद्धि बालक कहा जाता है। मन्द बुद्धि बालकों की बुद्धि–लब्धि, साधारण बालकों की बुद्धि–लब्धि कम होती है। समाज में ऐसे बच्चों की आबादी तीन प्रतिशत से अधिक है। इन बच्चों की शिक्षा पर पहले ध्यान नहीं दिया जाता था। कई दशकों तक सामाजिक असंवेदनशीलता, जागरूकता की कमी एवं तकनीकी अभाव भी इन बच्चों की शिक्षा में गतिरोध पैदा करता रहा। ऐसे बच्चों के प्रति समाज और यहाँ तक कि परिवार का रवैया भी ठीक नहीं रहा है। समाज के कुछ लोगों की ऐसी धारणा रही है कि ऐसे बच्चों के साथ रहने से वे भी मन्दबुद्धि हो जायेंगे। यह निराधार और सत्यता से परे है। बालक में उम्र बढ़ने के साथ–साथ ज्ञान में वृद्धि भी होती है अतः किसी विशिष्ट उम्र का बालक यदि उस उम्र के लिए निर्धारित प्रश्नों का उत्तर नहीं दे पाता है, तो वह अवश्यक ही मंदबुद्धि है। सामान्य विद्यालयों में मंदबुद्धि विद्यार्थियों के लिए विशेष कक्षा में शिक्षा व्यवस्था की जाती है। इन बालकों की शिक्षा का उद्देश्य स्व सहायता तथा घर एवं समाज में समायोजन करना है। इनका पाठ्यक्रम भी अपने दैनिक कार्य जैसे भोजन करना, वस्त्र पहनना, अभिवादन करना तथा अपनी आवश्यकता के लिए माता, पिता को कहने से संबंधित होता है।

प्रस्तावना

मानसिक मन्दता के अन्तर्गत ऐसे बच्चे आते हैं, जिनमें औसत से कम मानसिक योग्यता पायी जाती हैं। लिहाजा वे मन्द गति से सीखते हैं। स्कूल के औसत बच्चों की तुलना में पढ़ाई–लिखाई में पिछड़े रह जाते हैं। मानसिक मन्दता, मानसिक न्यूनता, मानसिक अपसामान्यता और मानसिक विकलांगता आदि शब्द मानसिक मन्दता के ही पर्यायवाची शब्द हैं। यह कोई मानसिक बीमारी नहीं बल्कि मानसिक विकास की अवस्था है, जिनमें पीड़ित बच्चों का बौद्धिक विकास औसत बुद्धि वाले बच्चों से कम होता है। प्रस्तुत लेख में मंदबुद्धि बालकों की मानसिक विकास की स्थिति का वर्णन किया गया है। कक्षा में अध्यापक का अध्यापन के दौरान

कुछ ऐसे छात्रों से सामना होता है जो उसके सरल प्रश्नों का भी उत्तर नहीं देते हैं, गृहकार्य पूर्ण करके नहीं लाते हैं एवं सभी विषयों में अल्प अंक प्राप्त करते हैं। उसे लगता है कि ये विद्यार्थी सुस्त अथवा बुद्धु है। यहाँ अध्यापक का इशारा मंदबुद्धि बालकों की ओर होता है। ऐसे बालक घर, समाज एवं विद्यालय में समायोजन करने में असमर्थ होते हैं। ये बालक अपने हम उम्र बालकों से जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में पिछड़ जाते हैं।

मंदबुद्धि संकल्पना को परखने के लिए निष्कर्ष दिये हैं। जब बालक स्वयं को सामाजिक स्थितियों में समायोजित करने में असमर्थ पाता है। जब बालक हम उम्र के औसत मानसिक स्तर के बालकों के समान व्यवहार एवं गतिविधियाँ नहीं कर पाता है। जब बालक का मानसिक विकास पर्यावरण एवं व्यवहार संबंधी कारणों से प्रभावित होने लगता है।

जब बालक अपने कार्य को परिपक्वता के स्तर तक करने में असमर्थ होता है एवं वह अपनी विशेष शारीरिक बनावट के कारण सामान्य व्यवहार करने में अयोग्य होता है, जबकि उसमें किन्हीं कारणों से ऐसी कमियाँ उत्पन्न हो चुकी हैं, जिन्हें सुधारा नहीं जा सकता है। मंदबुद्धि बालकों का वर्गीकरण –

अपनी बौद्धिक अक्षमताओं अथवा न्यूनताओं के कारण मंदबुद्धि बालक अन्य समान्य एवं विशिष्ट बालाकों से भिन्न होते हैं। व्यक्तिगत विशेषताओं के आधार पर इन भिन्नताओं को स्पष्ट रूप से समझा जा सकता है।

मस्तिष्कीय अति वाला बालक

यह एक प्रकार की दैहिक विकृति है जो कि बालक के मस्तिष्क को चोट अथवा बीमारी के कारण हानि पहुंचने से उत्पन्न होती है।

मंगोलसम

इस प्रकार के बालक अपनी विशिष्ट शारीरिक विशेषताओं के द्वारा आसानी से पहचाने जा सकते हैं। शारीरिक बनावट मंगोल जाति के लोगों के समान होने के कारण इसे मंगोलसम नाम दिया गया है। जिस प्रकार मंगोल जाति के लोगों की आँखें छोटी–छोटी, नाक चपटी तथा कद छोटा होता है, उसी प्राकर से इस वर्ग में मंदबुद्ध बालकों की आँखें छोटी तथा बादाम की तरह होती है। मुँह पर तिरछापन होता है, होंठ मोटे और बाहर की तरफ लटके हुए होते हैं। नाक चपटी, हाथ पैर मोटे तथा कद छोटा होता है। ये बालक व्यवहार में विनयशील, स्नेही और प्रसन्नचित्त होते हैं एवं ये बालक ठीक तरह से बोल नहीं पाते हैं।

जड़ बालक

जब बालक में थॉयराइड ग्रंथि की क्रियाशीलता अनियमित और मंद हो जाती है तब यह स्थिति उत्पन्न हो जाती है। इन बालकों की शारीरिक बुद्धि बहुत कम होती है। इस कारण कद छोटा रहता है। इनकी अधिकतम लंबाई तीन फुट तक होती है। इनके हाथ–पैरों की तुलना में धड़ अधिक बड़ा प्रतीत होता है। इन बालकों के होंठ और जीभ सामान्य बालकों की अपेक्षा मोटे होते हैं। ये बालक भीड़ से दूर रहते हैं तथा बहुत कब बोलते हैं।

लघुशीर्षता

जैसा कि नाम से प्रतीत होता है कि इनका सिर छोटा होता है एवं आकार की दृष्टि से सिर पतला और त्रिकोणाकार दिखाई देता है। इनका कद छोटा और माथा बैठा हुआ तथा सिर पीछे से चपटा होता है। ये

बालक कुछ भी सीखने के योग्य नहीं होते हैं। इन बालकों का मानसिक विकास गर्भावस्था के लगभग पाँचवे माह से अवरूद्ध होने लगता है।

वृहतशीर्षता

इन बालकों का सिर का आकार काफी बढ़ जाता है तथा सिर की परिधि (घेरा) 28 इंच तक हो जाती है। सिर की तुलना में धड़ छोटा लगता है। माथे और सिर के पीछे की ओर का भाग अपेक्षाकृत बड़ा होता है एवं स्वभाव से ये बालक प्रसन्नचित्त, स्नेहपूर्ण और दूसरों की मदद करने वाले होते हैं।

बुद्धि–लब्धि के आधार पर

बींसवी सदी के प्रारंभ में ''मानसिक उम्र'' तथा उसके बाद बुद्धि लब्धि की संकल्पना के प्रारंभ होने के साथ ही मनोवैज्ञानिकों द्वारा विभिन्न बौद्धिक क्षमताओं वाले बालकों को उनकी बुद्धि लब्धि के आधार पर विभिन्न वर्गों में विभक्त किया गया।

70 बुद्धि लब्धि को मानसिक न्यूनता का सीमा बिन्दु माना गया। यद्यपि 90 बुद्धि लब्धि से कम बुद्धि–लब्धि वाले सभी मंदबुद्धि बालकों को अलग–अलग मानेवैज्ञानिकों ने अलग–अलग वर्गों में रखा गया है –

अ) धीमी गति से सीखने वाले बालक

धीमी गति से सीखने वाले बालकों की बौद्धिक क्षमता सामान्य बालकों के समान ही होती है। इनमें अंतर केवल सीखने की गति का होता है। इन बालकों की बुद्धिलब्धि 75 से 90 के मध्य होती है। इस कारण इन्हें प्रायः मंदबुद्धि बालकों के वर्ग में रखा जाता है। इन बालकों के लिए अलग से शिक्षा व्यवस्था की आवश्यकता नहीं होती है। अभिभावकों, माता–पिता, विद्यालय प्रशान एवं शिक्षकों के अल्प प्रयासों से ही इनकी उपलब्धि को सामान्य बालकों की उपलब्धि के स्तर तक लाया जा सकता है।

ब) शिक्षण योग्य मंदबुद्धि बालक

इन बालकों की बुद्धि–लब्धि 50 से 70 के मध्य होती है। इन बालकों का शारीरिक विकास तो सामान्य बालकों के समान ही होता है, किंतु शैशवावस्था में चालन कौशलों तथा शारीरिक विषमताओं के आधार पर इन्हें पहचाना जा सकता है।

सामान्यतः इन बालकों के मंदबुद्धि होने की जानकारी इनके विद्यालय में अध्ययन करने के समय में ही हो पाती है। नियमित विद्यालयीन शिक्षण में इन्हें बाधा होती है। इन पर अतिरिक्त ध्यान देने की आवश्यकता होती है।

इन बालकों को निरंतर अभ्यास के पश्चात् सामान्य पढ़ना, लिखना और दैनिक व्यवहार में आने वाले गणितीय प्रश्नों को हल करना सिखाया जाता है। उचित प्रशिक्षण एवं निर्देशन मिलने पर इन्हें आत्मनिर्भर बनाया जा सकता है। इन्हें हस्तकौशलों का प्रशिक्षण देकर आत्मनिर्भर बनाया जा सकता है। इस प्रकार के बालकों में निम्न व्यावहारिक विशेषताएँ देखने को मिलती है –

इन्हें नये परिवेश तथा विचारों के साथ समायोजन करने में अधिक समय लगता है। इन बालकों में भाषा का अल्प विकास होता है इसलिए इनमें विभेदीकरण,समानता और विपरीतता की समझ का विकास बहुत कम होता है इसलिए इनमें विभेदीकरण, समानता और विपरीतता की समझ का विकास बहुत कम होता है।

ये बालक अपनी भावनाओं एवं विचारों को अभिव्यक्त करने में सक्षम नहीं होते हैं। निर्णय लेने की क्षमता की कमी होने के कारण ये स्वयं कोई योजना बनाने या कोई निश्चित कार्य करने की स्थिति में नहीं होते है। अतः इसके लिए उन्हें दूसरों पर निर्भर रहना पड़ता है।

स) प्रशिक्षण योग्य मंदबुद्धि बालक

इस वर्ग में वे बालक आते हैं जिनकी बुद्धिलब्धि 25 से 50 के मध्य होती है। इन बालकों में शिक्षा–ग्रहण करने की क्षमता नहीं होती। कक्षा या विद्यालयीन वातावरण में ये स्वयं को समायोजित नहीं कर पाते हैं। इस प्रकार के बालकों में निम्न विशेषताएँ पायी जाती है –

शैशवावस्था (0 से 2 वर्ष) एवं बाल्यावस्था (2 से 5 वर्ष) में इन बालकों का गामक विकास देरी से होता है। इन बालकों में भाषा, समायोजन तथा संतुलित व्यवहार क्षमता आदि का विकास देरी से होता है। ये बालक सामान्य पाठ्यक्रम को सीखने के योग्य नहीं होते हैं। इन्हें लगातार कठिन मेहनत के द्वारा पढ़ने एवं लिखने योग्य बनाया जा सकता है। इन बालकों के अंदर किसी कार्य को सीखने की क्षमता होती है अतः उचित प्रशिक्षण द्वारा इन्हें दैनिक एवं सामाजिक कार्यों में प्रशिक्षण किया जा सकता है। जैसे – मोमबत्ती बनाना, अगरबत्ती बनाना, लिफाफे बनाना, कुर्सियाँ बुनना, बड़ों का आदर करना।

द) शिक्षा पाने में पूर्णतः अयोग्य बालक

इस वर्ग में जड़बद्धि बालक आते हैं जिनकी बद्धि–लब्धि 25 से कम होती है। इन बालकों को शिक्षित किया जाना असंभव है। इनके विपरीत इनकी देखभाल, दैनिक आवश्यकताओं की पूर्ति जैसे शौच, स्नान, वस्त्र, खान–पान, बीमारी एवं अन्य कार्यों में भी इनके माता–पिता या भाई, बहन को ही इनकी मदद करनी पड़ती है। इन बालकों में निम्न विशेषताएँ होती है –

शैशवावस्था से ही ये शारीरिक एवं गामक विषमताओं के कारण सामान्य बालकों से भिन्न होते हैं। ये बालक पूर्णतः परिवार पर निर्भर रहते हैं एवं बिना परिवार की देखभाल के जीवित भी नहीं रह सकते हैं। अपनी आवश्यकताओं के लिए वे किसी को भी सूचित करने में असमर्थ रहते हैं। इन बालकों की देखभाल के लिए प्रशिक्षित परिचारिका की आवश्यकता होती है।

मंदबुद्धि के कारण

बालक का मंदबुद्धि होना अनेक कारकों पर निर्भर होता है। किसी एक कारक का इसके लिए उत्तरदायी नहीं माना जा सकता है। साथ ही यह भी नहीं कहा जा सकता है कि ये कारक विकास काल के दौरान कब प्रभावी हुए ?

डेवपोर्ट ने विकासात्मक सोपानों के आधार पर मंदबुद्धि के निम्न सात कारण बताये हैं

जनन द्रव्य में खराबी उत्पन्न होना, अंडाणु के निषेचन के दौरान उसके खराब परिणाम आना, रोपण के साथ खराबी, भ्रूण में खराबी उत्पन्न होना, भ्रूणावस्था के दौरान खराबी उत्पन्न होना, शिशु के जन्म के समय उसके सिर में चोट लगना एवं शैशवावस्था और बाल्यावस्था में सिर में किसी प्रकार की चोट लग जाना या खराबी होना

जन्म के समय के कारक

ये कारक निम्नलिखित है–

- यदि शिशु अपूर्ण गर्भकाल में जन्म लेता है तब उसके मंदबुद्धि होने की संभावना अधिक रहती है।
- ऑपरेशन द्वारा प्रसव होने पर अथवा जन्म के समय शिशु को पर्याप्त ऑक्सीजन न मिलने से मस्तिष्कीय कोश नष्ट हो जाते हैं जिन्हें पुनर्जीवित करना संभव नहीं होता। जन्म के समय मस्तिष्क में चोट लगने से भी शिशु मंदबद्धि हो जाता है।

जन्म के पश्चात् के कारक

- यदि बालक को गंभीर रोग जैसे खसरा, चेचक, पोलियो इत्यादि हो जाता है तब इस कारण उसका मानसिक विकास भी प्रभावित होता है।
- यदि बालक भूलवश अथवा नीम हकीम द्वारा दवा देने पर शीशा खा लेता है तब वह मंदबुद्धि हो जाता है।
- यदि मस्तिष्क में चोट लग जाती है तब भी वह मंदबुद्धि हो सकता है।
- यदि बालक की सामाजिक, आर्थिक स्थिति कमजोर है एवं उसे अभाव में जीना होता है तब भी उसके मंदबुद्धि हो जाने की संभावनाएँ रहती है।

मंदबुद्धि बालकों की विशेषताएँ

मंदबुद्धि बालकों की अनेक विशेषताओं का वर्णन उनके वर्गीकरण के अंतर्गत किया गया है। कुछ प्रमुख विशेषताओं का वर्णन यहाँ प्रस्तुत है –

संज्ञानात्मक विशेषताए

इन बालकों में सीखने की योग्यता कम होती है। शोध अध्ययन बताते हैं कि मंदबुद्धि संज्ञान के चार क्षेत्रों – अवधान, स्मृति, भाषा और शैक्षणिक विषयों में कठिनाई अनुभव करते हैं।

अवधानात्मक योग्यताएँ

अधिगम में अवधान का महत्व सर्वविदित है। अवधान होने पर ही बालक सीख सकता है। मंदबुद्धियों पर किए गए अनेक शोध यह बताते हैं कि उन्हें अवधानात्मक समस्याएँ आती है।

भाषा–विकास

अनेक मंदबुद्धि विद्यार्थियों को भाषा एवं वाग्मिता की समस्या होती है। बालक जितना ज्यादा मंदबुद्धि होगा समस्या उतनी ही अधिक होगी। उनकी भाषा की प्रगति निम्न दर से होती है।

शैक्षणिक उपलब्धि

बुद्धि एवं उपलब्धि में सकारात्मक सह संबंध होने के कारण मंदबुद्धियों की सभी विषयों में शैक्षणिक उपलब्धियाँ सामान्य विद्यार्थियों की तुलना में अल्प होती है।

व्यक्तित्व की विशेषताए

मंदबुद्धि बालकों को अनेक सामाजिक एवं संवेगात्मक समस्याएँ होती है। विशेषकर उन्हें मित्र बनाने में कठिनाई होती है तथा उनकी कमजोर आत्म संकल्पना होती है।

मंदबुद्धि बालकों की पहचान

मंदबुद्धि बालकों को उनकी विशेषताओं एवं उपलब्धियों के आधार पर पहचाना जा सकता है। उन्हें विभिन्न बुद्धि परीक्षणों के आधार पर भी पहचाना जा सकता है। बुद्धि परीक्षण की जानकारी उदय पारीक एवं पेस्तोन्जी द्वारा संपादित ग्रंथों से की जा सकती है। प्रायः इनकी बुद्धि मापने के लिए निष्पादन परीक्षणों का उपयोग करना श्रेयस्कर इसलिए होता है चूँकि इनमें भाषा संबंधी कठिनाइयाँ होती है।

मंदबुद्धि बालकों की शिक्षा–व्यवस्था

जड़बुद्धि (25 से कम) बालकों को जो कि पूर्ण रूप से परिवार के सदस्यों पर निर्भर होते हैं, शिक्षा प्रदान करना संभव नहीं है। केवल 25 से 75 बुद्धिलब्धि वाले बालकों को ही शिक्षा अथवा प्रशिक्षण प्रदान किया जा सकता है। मंदबुद्धि बालकों की शिक्षा व्यवस्था निम्न प्रकार से की जा सकती है –

विशेष विद्यालय

मंदबुद्धि बालकों की शिक्षा के लिए बुद्धि–लब्धि के आधार पर विद्यालयों की स्थापना की गयी है। बालक निश्चित अवधि के लिए विद्यालय जाता है एवं शेष समय परिवार के साथ बिताता है। विशेष विद्यालयों में विशष पाठ्यचर्या होती है तथा विशेष प्रकार से प्रशिक्षित अध्यापकों द्वारा अध्यापन किया जाता है।

आवासीय विद्यालय

अत्यंत मंदबुद्धि बालकों को शिक्षा एवं प्रशिक्षण प्रदान करना असंभव होता है। अतः इनके लिए आवासीय विद्यालयों की स्थापना की गयी है। आवासीय विद्यालय पूर्णतः सुसज्जित होते हैं तथा वहाँ पर डॉक्टर, मनोवैज्ञानिक एवं परिचारिकाओं की व्यवस्था रहती है। चूँकि ये बालक अपने दैनिक कार्य भी संपन्न नहीं कर पाते हैं इसलिए इन्हें जीवन पर्यन्त यहाँ रहना होता है।

विशेष कक्षा

सामान्य विद्यालयों में मंदबुद्धि विद्यार्थियों के लिए विशेष कक्षा में शिक्षा की व्यवस्था की जाती है। यहाँ योग्य अध्यापक के मार्गदर्शन में विद्यार्थी अपनी बुद्धि के अनुसार शिक्षा ग्रहण करते हैं, हालाँकि इस विशेष कक्षा के विद्यार्थियों को हीन भावना से ग्रसित हो जाने की संभावना रहती है जबकि अन्य विद्यार्थियों में श्रेष्ठता की भावना विकसित हो सकती है।

मंदबुद्धि बालकों की शिक्षा

सभी स्तर के मंदबुद्धि बालकों को शिक्षा एवं प्रशिक्षण नहीं प्रदान किया जा सकता है। केवल शिक्षण योग्य मंदबुद्धि बालकों एवं प्रशिक्षण योग्य मंदबुद्धि बालकों को शिक्षित अथवा प्रशिक्षित किया जा सकता है।

शिक्षा योग्य मंदबुद्धि बालक

चूंकि इन बालकों की मानसिक उम्र सामान्य बालकों से कम होती है अतः इनके शिक्षा के उद्देश्य एवं पाठ्यचर्या भिन्न होती है। किर्क एवं जॉनसन (1951) ने इन बालकों की शिक्षा के निम्न उद्देश्य बताए हैं : सामाजिक एवं व्यावसायिक कौशलों का विकास करना, स्वतंत्र व्यवहार एवं संवेगात्मक सुरक्षा का विकास करना, स्वास्थ्य एवं आरोग्यता की आदतों का विकास करना, न्यूनतम शैक्षिक योग्यता अर्थात् पढ़ना, लिखना व सरल गणित सिखाना, अवकाश के समय में मनोरंजन एवं अन्य गतिविधियों में संलग्न रखने की योग्यता का विकास, सामुदायिक गतिविधियों में भाग लेना एवं पारिवारिक उत्तरदायित्व निर्वाह करने की योग्यता का विकास करना।

पाठ्यक्रम

इन बालकों की शिक्षा के लिए पाठ्यक्रम अपेक्षाकृत सरल होता है। प्रारंभिक वर्षों में (3–8 वर्ष) में इन्हें स्वयं देखभाल, वस्तुओं का परिचालन एवं सामान्य सामाजिक कौशल सिखाये जाते हैं। तत्पश्चात् (6–18 वर्ष) इन्हें पठन, लेखन, गणित सिखाया जाता है। इन्हें विशेष रूप से प्रशिक्षित अध्यापकों द्वारा शिक्षा प्रदान की जाती है।

प्रशिक्षण योग्य मंदबुद्धि बालक

चूंकि इनकी बुद्धि, शिक्षण योग्य मंदबुद्धि बालकों से भी कम होती है अतः इनकी शिक्षा विभिन्न आदतों एवं कौशलों के प्रशिक्षण तक ही सीमित रहती है। इन बालकों को शिक्षा प्रदान करते समय निम्न बातें ध्यान में रखना चाहिए –

- इन बालकों की सही रूप से विशेषज्ञों द्वारा पहचान की जानी चाहिए।
- इनकी कक्षा में 6–10 विद्यार्थी ही रखना चाहिए ताकि अध्यापक व्यक्तिगत रूप से ध्यान दे सकें।
- कक्षा में समान उम्र एवं बुद्धि वाले विद्यार्थियों को रखना चाहिए।
- सिर्फ प्रशिक्षित अध्यापकों द्वारा ही इनका अध्यापन किया जाना चाहिए।

निष्कर्ष

सामान्यतः शारीरिक दृष्टि से गूंगे, बहरे, लूले और अन्धे बच्चों को विकलांग कहते हैं। शिक्षा के क्षेत्र में शारीरिक दृष्टि से विकलांग और मानसिक दृष्टि से मन्द बुद्धि बच्चों को विकलांग माना जाता है और साथ ही उन बच्चों को भी विकलांग माना जाता है, जो किसी कारण सामाजिक व्यवहार में असामान्य हो गए हो। सरकारी आंकड़ों के अनुसार 2021 में हमारे देश में लगभग 3 करोड़ व्यक्ति विकलांग थे। जो पूरे संसार के विकलांगों के 50 प्रतिशत थे। इनमें लगभग 50 लाख बच्चे ऐसे है। जिनकी शिक्षा की समुचित व्यवस्था करना आवश्यक है। इन बालकों की शिक्षा का उद्देश्य स्व सहायता तथा घर तथा समाज में समायोजन करना है। इनका पाठ्यक्रम भी अपने दैनिक कार्य जैसे भोजन करना, वस्त्र पहनना, अभिवादन करना तथा अपनी आवश्यकता के लिए माता–पिता को कहने से संबंधित होता है।

संदर्भ ग्रन्थ सूची–

- श्रीवास्तव, वंदना (2006) "शिक्षकों के कृत्य संतोष एवं जीवन सन्तुष्टि का अध्ययन" अप्रकाशित शोध प्रबंध, शिक्षा संकाय, लखनऊ विश्वविद्यालय, लखनऊ।
- शर्मा, एस0 के0 (2019) "एजुकेशननल एडजस्टमेंट ऑफ डिफेंस पर्सनल इडियन एजकुशेनल रिव्यू, वा0 48(1) पृ0 44–48
- शर्मा, प्रीति (2017) "उच्चा शिक्षा स्तर में कार्यरत व अकार्यरत महिलाओं की जीवन सन्तुष्टि का अध्ययन" अप्रकाशित लघु शोध प्रबन्ध, डी0ई0आई0 दयालबाग।
- शर्मा, आरती (2003) ''स्नातक स्तर पर अध्ययनरत छात्राओं के व्यावसायिक एवं पारिवारिक मूल्यों का अध्ययन'' अप्रकाशित लघु शोध प्रबन्ध, डी0ई0आई0 दयालबाग।

- शफीक (2003) "ए स्टडी ऑफ लो एण्ड हाई सेलरीड ग्रुप टीचर्स टीचिंग विजुअली इम्पेयर्ड इन रिलेशन टू देयर एडजस्टमेंट एण्ड जॉब सेटिसफेक्शन" इंडियन एजुकेशनल रिव्यू, वा0 39(1) पृ0 64–76
- सीनर, आरजू एवं सीवल, एच0 (2015) "फैमिली, क्लोज रिलेटि्वस, फ्रेंडस : लाइफ सेटिशफेक्शन अमांग ओल्डर पीपुल" एजुकेशलन ग्रेण्टोलोजी, वा0 34(10) पृ0 890–906
- सारस्वत, आर0 (2005) "श्रीमद् भगवद्गीता में निहित सामाजिक, नैतिक एवं आध्यात्मिक मूल्यों का उच्चस्तर के पाठ्यक्रम में समावेश" अप्रकाशित लघु शोध प्रबन्ध, डी0ई0आई0 दयालबाग। सारिका (2015) "लॉकस ऑफ कण्ट्रोल इन रिलेशन टू एकेडमिक अचीवमेंट एण्ड एडजस्टमेंट" इंडियन सोशल एण्ड साइक्लोजिकल स्टडीज, पटना वा0 2(1) मार्च 2015, पृ0 100–103
- गुप्ता जयबाला (2016) "मंदबुद्धि बालकों की पहचान एवं शिक्षा व्यवस्था" जे0जे0टी विश्वविद्यालय, राजस्थान।